फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट मु. नं. 53 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.02.2019	यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।	

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का दासौड़ी ने खाता दुरुस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी 2065–68, 2073–2076 ना.स. 548 की प्रति पेश की। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू–अभिलेख निरीक्षक खीन्दासर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम दासौड़ी तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 में खाता संख्या 128 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	दासौड़ी	128	प्रभूदान पुत्र हेतूदान, शंकरदान, लिछमणदान, धापूदेवी पत्नी रामदान, जितेन्द्र पुत्र रामदान, कैलाशदान पुत्र आसुदान, जोरा बेवाह आसूदान $\frac{1}{19}$ हिस्सा जाति चारण सा. देह, महेशदान वल्द हरदान $\frac{9}{19}$ हिस्सा, शिवदान पुत्र गणपतदान उर्फ गणेशदान 0.588 है., केशूदान, लिछमणदान बिशनदान पि. गणपतदान उर्फ गणेशदान जाति चारण सा. देह 0.882 है. बहिब, विजयदान पि. मु. शंकरदान 0.30 है. कौम चारण सा. देह खातेदार	प्रभूदान पुत्र हेतूदान $\frac{1}{38}$ हिस्सा, शंकरदान, लिछमणदान पुत्र आसुदान बहिब $\frac{2}{190}$ हिस्सा, धापूदेवी पत्नी रामदान, जितेन्द्र पुत्र रामदान बहिब $\frac{1}{190}$ हिस्सा, कैलाशदान पुत्र आसुदान, जोरा बेवाह आसूदान बहिब $\frac{2}{190}$ हिस्सा, महेशदान वल्द हरदान $\frac{9}{19}$ हिस्सा, शिवदान पुत्र गणपतदान उर्फ गणेशदान $\frac{588}{3740}$ हिस्सा, केशूदान, लिछमणदान बिशनदान पि. गणपतदान उर्फ गणेशदान $\frac{4197}{17765}$ हिस्सा बहिब, विजयदान पि. मु. शंकरदान $\frac{30}{374}$ हिस्सा कौम चारण सा. देह खातेदार

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

08/2/19

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत

Scanned by CamScanner